कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री कमलापुर शुगर एण्ड इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड,कमलापुर,जिला सीतापुर ।

प्रा0प0सं0:- 305/2008

प्रार्थी की ओर से श्री उमेश चन्द्र शुक्ला,अधिवक्ता

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23-6-2008 को प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि वे शक्कर का उत्पादन करता है इसके साथ मोलेसेस व बैगास वाई प्रोडेक्ट के रुप में उत्पादन होता है । यह दोनों वस्तुएँ वैट अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है जबकि शक्कर पर कोई करदेयता नही है। प्रार्थी ने जानना चाहा है कि क्या रियायती दर से फार्म डी **(धारा-4 सबक्लाज -1 अनुसूची -4 वाणिज्य कर)** के विरुद्व डीजल खरीदने के लिए वह अधिकृत है अथवा नही ?

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (क0नि0)कारपोरेट सर्किल,वाणिज्य कर,लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई जो पत्रावली पर रखी गयी है ।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री उमेश चन्द्र शुक्ला,अधिवक्ता उपस्थित हुए व उन्होनें उक्त जानकारी देने का अनुरोध किया ।

4- मैनें धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों, प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया ।उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (1) से (11) के उपरान्त प्रदत्त स्पष्टीकरण एक ,दो, तथा तीन में से तीन के अन्तर्गत निम्न उल्लेख है :-

" स्पष्टीकरण ....

(तीन) जहाँ किसी कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान कोई छूट प्राप्त माल उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रुप में उत्पादित किये जाय वहाँ यह समझा जायेगा कि क्रय किये गये माल का उपयोग कराधेय माल के विनिर्माण में किया गया है। स्पष्ट रुप से , जहाँ किसी छूट प्राप्त माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान किन्ही कराधेय माल का उत्पादन, उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रुप में किया जाता है वहाँ यह समझा जाएगा कि क्रय किये गये माल का उपयोग छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में किया गया है ।"

इसके अतिरिक्त धारा-13 की उपधारा (1) (ड.) के प्रतिबन्धात्मक भाग में निम्न उल्लेख है :-

" प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि राज्य सरकार धारा-4 की उपधारा (1) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना में निर्दिष्ट चीनी या वस्त्र के विक्रय के सम्बन्ध में कर की दर और कर का बिन्दु विहित करने वाली अधिसूचना जारी न करें, जब तक, उक्त सुविधा , उपर्युक्त किसी भी खण्ड के अधीन अनुमन्य नही होगी ।"

उक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा निर्मित शुगर वैट अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति में करयोग्य वस्तु नही है । शीरा तथा बैगास वाई प्रोडेक्ट है ।उक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि फार्म डी की सुविधा जो केवल करयोग्य वस्तुओ के निर्माता को उपलब्ध करायी गयी है, प्रार्थी इसके पात्र नही है ।

5- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

ह0 18-9-2008

दिनांक::सितम्बर 18 2008

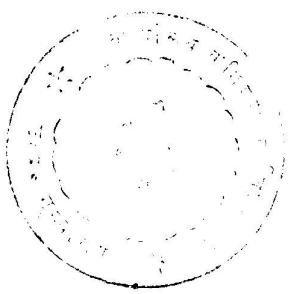

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

[illegible]